

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल 6-7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग शिविर 2021)

बइजलास - श्री सन्तोष कुमार मीना (आर.ए.एस.)

शिविर का स्थान - चखलाई दिनांक : 21.10.2021

प्रकरण संख्या - राजस्व वाद / 74 / 2021

उनवान प्रकरण

कलेश पि. बापूलाल जाति थाकड
पि. चखलाई

- ब 1 मानसिंह सो रामनारायण जाति थाकड
- 2 राजनारायण सो रामनारायण पि. चखलाई
- 3 जसवंतसिंह सो इरालाल
- ना 4 बालाराम सो इरालाल
- म 5 ओजस सो युन्नीलाल
- 6 शोभाराम सो युन्नीलाल
- 7 राज सोकार जति लखीलसरा कुतेल

दावा धारा

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु व हाजिरी वकील वादी मिनजामिन मुददई रुबरु वकील प्रतिवादी मिलजामिन मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

प्रस्तुत वाद में वाद वादी डिक्री कर आदेश दिया जाच
है कि गाम चखलाई की वादगत आराजी खत. 55
रकबा 0.6576 हेक्टर जमि में राजिस्टर्ड विक्रम पत्र कुतुपाल
वादी का नाम दर्ज किया जावे।



मिन मुबलिग बाबत् खर्चा इस मुकदमें के मय सुद बशरह सदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।
सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21.10.21 को जारी की गई।

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड (राज.)

मुददई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा	
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील	
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान			फीस कमिशनर	
फीस कमिशनर			बाबत् इजराय हुकमनामा	
बाबत् इजराय हुकमनामा			मुतफरिक	
मुतफरिक मीजान			मीजान	

